


# **IGNOU IQ HINDI**

# **SOLVED ASSIGNMENT**

## **2025-26**



Your journey to success begins here join our comprehensive online course.

**CONTACT US**

**6205717642/8521027286**

**ignouiqinfo@gmail.com**

This PDF of 'IGNOU IQ Hindi' is not for selling or sharing, otherwise legal action can be taken against you.

# ASSIGNMENT

## BPSC - 102

### **Disclaimer for this Guess Paper/Notes/Sample Papers By IGNOU IQ HINDI (IIH)**

This PDF contains previous year questions asked by IGNOU. This PDF has been created to help you in the exam. However, It is important to note the following :

- A. No Guarantee of Examination Questions:** We do not guarantee that the questions presented in this sample paper will appear in your actual exams. The content is for practice purposes only.
- B. Book Study Recommended:** To achieve good marks in your IGNOU exams, it is highly recommended that you thoroughly study the prescribed course materials and textbooks. Relying solely on this sample paper may not be sufficient for exam success.
- C. Use as a Study Materials :** Use this sample paper as a supplementary study aid to test your knowledge and exam preparedness.
- D. Self-Responsibility:** Your performance in exams is your responsibility, and success depends on your dedication to studying the course material.

PDF By Suraj Kumar Sir (8521027286/6205717642) .....visit our website [www.ignouiqhindi.com](http://www.ignouiqhindi.com)

हमारे यहाँ Handwritten Assignments/Synopsis/Project बनाया जाता है - 62057107642/8521027286

**BPSC-102: भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र**  
**अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य**

पाठ्यक्रम कोड: BPSC-102  
सत्रीय कार्य कोड: BPSC-102/ASST/TMA/2025-26  
अधिकतम अंक: 100

यह सत्रीय कार्य तीन भागों में विभाजित हैं। आपको तीनों भागों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

**सत्रीय कार्य-I**

निम्न वर्णनात्मक श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

- 1) भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये विशेषताएँ भारतीय राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप को कैसे परिभाषित करती हैं?
- 2) भारतीय संसद की संरचना और अधिकारों को समझाइए। यह कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है?

**सत्रीय कार्य-II**

निम्न मध्यम श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

- 3) संसदीय व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियों का परीक्षण कीजिए।
- 4) संवैधानिकता की संकल्पना क्या है? भारत के संवैधानिक ढांचे में इसका प्रतिबिंब कैसे देखा जा सकता है?
- 5) भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संघवाद किस प्रकार विशिष्ट है?

**सत्रीय कार्य-III**

निम्न लघु श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है।

- 6) भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?
- 7) भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- 8) न्यायिक पुनरवलोकन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए।
- 9) राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से कोई चार उदाहरण दें और उनके महत्व को समझाइए।
- 10) मौलिक कर्तव्यों का नैतिक मूल्यों से क्या संबंध है?

## BPSC-102: भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र

### अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य

प्रिय छात्र,

इन्हूं में मूल्यांकन दो भागों में होता है: i) सत्रीय कार्य द्वारा सतत मूल्यांकन, और ii) सत्रांत परीक्षा। अंतिम परीक्षा परिणाम में, सभी सत्रीय कार्यों के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है, जबकि सत्रांत परीक्षा के लिए 70 प्रतिशत अंक।

आपको 6 क्रेडिट के पाठ्यक्रम के लिए 3 अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य (टी.एम.ए.) करने होंगे, जिनके कुल 100 अंक हैं, तथा मूल्यांकन में 30 प्रतिशत वेटेज है। इस सत्रीय कार्य की पुस्तिका में **BPSC-102: भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र** नामक कोर पाठ्यक्रम का सत्रीय कार्य सम्मिलित है जो 6 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है।

सत्रीय कार्य-I में वर्णनात्मक श्रेणी के प्रश्न हैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर निबंध के समान, प्रस्तावना एवं निष्कर्ष के साथ लिखने होंगे। इनका प्रयोजन विषय से संबंधित आपकी समझ/जानकारी को व्यवस्थित, संगत तथा सुस्पष्ट तरीके से वर्णन करने की योग्यता को जांचना है।

सत्रीय कार्य-II में मध्य श्रेणी के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको सर्वप्रथम तर्क और स्पष्टीकरण के संदर्भ में विषय का विश्लेषण करना होगा, जिसके उपरान्त प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त तरीके से लिखने होंगे। ये प्रश्न विषय से संबंधित अवधारणाओं व प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए हैं।

सत्रीय कार्य-III में संक्षिप्त श्रेणी के प्रश्न हैं। यह प्रश्न व्यक्तियों, लेखन, घटनाओं तथा अवधारणाओं एवं प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ के बारे में प्रासांगिक/सटीक जानकारी को संक्षेप में याद रखने के कौशल को उत्तम बनाने के लिए हैं।

सत्रीय कार्य करने से पहले, कार्यक्रम दर्शिका में दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह अनिवार्य है कि आप सत्रीय कार्य के सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। आपका उत्तर किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित शब्द—सीमा की अनुमानित सीमा के भीतर होना चाहिए। याद रखिये कि इन सत्रीय प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके कौशल में सुधार होगा; तथा आप सत्रांत परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे।

**जमा करना:** जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका में उल्लेख किया गया है आप सत्रांत परीक्षा में उपरित्थित होने के योग्य होने के लिए सारे सत्रीय कार्य निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जमा करने होंगे। पूरे किए गए सत्रीय कार्य निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार जमा करें :

सत्र	जमा करने की अंतिम तिथि	किसके पास जमा करें
जुलाई, 2025 के लिए	31 मार्च, 2026	अपने अध्ययन केन्द्र के संचालक के पास जमा करें।
जनवरी, 2026 के लिए	30 सितंबर, 2026	

जमा कराये गये सत्रीय कार्यों की अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र से रसीद अवश्य प्राप्त करें, तथा उसे संभाल कर रखिये। सत्रीय कार्य की एक फोटोकॉपी भी अपने पास रखें।

मूल्यांकन के पश्चात, अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र सत्रीय कार्यों को आपको लौटा देगा। कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। मूल्यांकन के पश्चात, अध्ययन केन्द्र को सत्रीय कार्य के अंक विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली को भेजने होते हैं।

शुभकामनाओं के साथ,

राजनीति विज्ञान संकाय

**BPSC-102: भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य**

पाठ्यक्रम कोड: BPSC-102

सत्रीय कार्य कोड: BPSC-102/ASST/TMA/2025-26

अधिकतम अंक: 100

यह सत्रीय कार्य तीन भागों में विभाजित है। आपको तीनों भागों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

## सत्रीय कार्य-1

निम्न वर्णनात्मक श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

### 1) भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये विशेषताएँ भारतीय राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप को कैसे परिभासित करती हैं?

उत्तर : भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता निम्नलिखित हैं :

#### 1. सबसे लंबा लिखित संविधान

दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है।

भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने वाले कारक हैं:

- भौगोलिक कारक, यानी देश की विशालता और इसकी विविधता।
- ऐतिहासिक कारक, उदाहरण के लिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव।
- केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान।
- संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का दबदबा।

भारत के संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी हैं। भारत के संविधान में न्यायसंगत और गैर-न्यायिक दोनों अधिकार शामिल हैं।

#### 2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया

भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ-साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम [1935 अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है] से उधार लिया है। डॉ बी आर अम्बेडकर ने गर्व से कहा कि भारत के संविधान को 'दुनिया के सभी जात संविधानों का निचौड़ करने के बाद तैयार किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हृद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संविधान का दार्थनिक हिस्सा (मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) क्रमशः अमेरिकी और आयरिश संविधानों से प्रेरित हैं। संविधान का राजनीतिक हिस्सा (कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध) काफी हृद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।

#### 3. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण

भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी संविधान को उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। यह एक कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण - अमेरिकी संविधान। एक लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण - ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान

संशोधन की प्रकृति के आधार पर सरल से लेकर सबसे कठिन प्रक्रियाओं तक तीन प्रकार के संशोधन प्रदान करता है।

#### 4. संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण

भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामाज्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।

हालांकि, भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका आदि। इसके अलावा, संविधान में कहीं भी 'फेडरेशन' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 1, भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में वर्णित करता है जिसका तात्पर्य दो चीजों से है:

- भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है।
- किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

इसलिए, के सी छेयर द्वारा भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार से 'रूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक', 'अर्ध-संघीय' के रूप में वर्णित किया गया है।

#### 5. सरकार का संसदीय स्वरूप

भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका है, और इसलिए इसे 'प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार' कहा जाता है।

**2) भारतीय संसद की संरचना और अधिकारों को समझाइए। यह कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है?**

उत्तर : संसद की संरचना

1. राष्ट्रपति:

राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है।

राष्ट्रपति सत्र बुलाने, स्थगित करने और विधेयकों पर अपनी सहमति देने जैसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य करते हैं।

सभी प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

2. राज्यसभा (उच्च सदन):

इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।

इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नामांकित किए जाते हैं।

राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है; इसके सदस्य हर दो साल में एक-तिहाई सीटों पर चुने जाते हैं।

### 3. लोकसभा (निचला सदन):

इसमें देश के प्रत्येक निवाचिन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं।

इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जिसमें 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति के आदेश पर भंग किया जा सकता है।

संसद सत्र आमतौर पर साल में तीन बार आयोजित होते हैं: एक बार फरवरी में बजट सत्र के लिए, एक बार जुलाई या अगस्त के आसपास मानसून सत्र के लिए, और एक बार नवंबर में शीतकालीन सत्र के लिए। इस साल, सरकार ने अभी तक शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा नहीं की है। हालाँकि संसद की बैठक होगी या नहीं, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन सरकार के मंत्रियों ने संकेत दिया है कि सत्र जल्द ही आयोजित किया जाएगा।

सरकार को संसद बुलाने की अनुमति देने की प्रथा अन्य देशों की प्रथाओं से भिन्न है। इनमें से कुछ देशों में विधायिका बुलाने में सरकार की भूमिका सीमित है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को संसद बुलाने की अनुमति देना इस सिद्धांत के विपरीत हो सकता है। जबकि हम सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र की तिथियों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह पोस्ट संसद और सरकार के बीच संबंधों, कुछ संसदीय प्रथाओं में सुधार के लिए पिछले कुछ वर्षों में की गई सिफारिशों और अन्य देशों द्वारा अपनाई गई कुछ प्रथाओं पर चर्चा करती है।

### लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका है?

संविधान में विधायिका को कानून बनाने, सरकार को कानूनों को लागू करने और अदालतों को इन कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन का अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका अन्य दो शाखाओं से स्वतंत्र है, लेकिन सरकार विधायिका के बहुमत सदस्यों के समर्थन से बनती है। इसलिए, सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि संसद (अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा) सरकार को उसके निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहरा सकती है और उसके कामकाज की जाँच कर सकती है। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे संसद में विधेयकों या मुद्रों पर बहस के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, और संसदीय समितियों में।

### संसद का सत्र कौन बुलाता है?

राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र हर छह महीने में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाना चाहिए। चूँकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं, इसलिए सत्र की अवधि सरकार द्वारा तय की जाती है।

कार्यपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाए रखने में विधायिका की भूमिका को देखते हुए, एक तर्क यह है कि सरकार को संसद बुलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, संसद को स्वयं ही बैठक बुलानी चाहिए, यदि कुछ निश्चित संख्या में सांसद सहमत हों, ताकि वह अपने पर्यवेक्षण कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके और बिना किसी देरी के मुद्रों का समाधान कर सके। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश वर्ष की शुरुआत में बैठक की तारीखों वाला एक वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं।

## सत्रीय कार्य-॥

निम्न मध्यम श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

### 3) संसदीय व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर : संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है। यहाँ हम राष्ट्रपति के दायित्वों पर चर्चा करेंगे। साथ ही, हम भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की भूमिका एवं दायित्वों के बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रपति, संसद के अधीन नाममात्र का कार्यपालक होता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही, वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।

#### राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियाँ

##### कार्यकारी शक्तियाँ

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों और जिम्मेदारियों पर निम्नलिखित बिंदुओं के तहत चर्चा की जा सकती है:

###### 1. संघ सरकार का प्रमुख

भारत सरकार के सभी कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं।

###### 2. मंत्रिपरिषद का गठन

संविधान में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।

###### 3. राज्य के उच्च गणमान्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति

राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, राजदूतों और विदेशों में भारत के अन्य राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है।

###### 4. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करेगा। राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है जिसका नाम या पदनाम राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

##### सैन्य शक्तियाँ

###### 1. राष्ट्रपति भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है।

2. राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने और शांति स्थापित करने की शक्ति है, लेकिन संसद ऐसी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति को निर्देश देने के लिए सक्षम है।

##### राजनयिक शक्तियाँ

1. भारत के राष्ट्रपति को राजदूतों की नियुक्ति का अधिकार है। राष्ट्रपति अन्य देशों के राजनयिक दूतों का स्वागत करते हैं।
2. सभी संघियाँ और अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न किये जाते हैं।
3. राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

### **विधायी शक्तियाँ**

1. राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को भंग कर सकता है।
2. राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह लोकसभा के लिए ऐंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को भी मनोनीत कर सकता है।
3. प्रत्येक विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है।
4. राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों।

### **वित्तीय शक्तियाँ**

1. राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
2. वार्षिक बजट राष्ट्रपति के नाम से संसद के समक्ष रखा जाता है।
3. आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति इस आकस्मिकता निधि से किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान कर सकते हैं।

### **न्यायिक शक्तियाँ**

1. राष्ट्रपति के पास क्षमादान, स्थगन या दंड में छूट देने की शक्ति है।
2. राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके विळङ्घ कोई आपराधिक कार्यवाही थुक नहीं की जा सकती।

## **4) संवैधानिकता की संकल्पना क्या है? भारत के संवैधानिक ढाँचे में इसका प्रतिबिंब कैसे देखा जा सकता है?**

उत्तर : सामान्य अवधारणा के अनुसार, संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ है, जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंब होता है। संविधान एक जड़ दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि समय के साथ यह निरंतर विकसित होता रहता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में संविधान के निर्माण का श्रेय मुख्यतः संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। वर्ष 1946 में 'क्रिप्स मिशन' की असफलता के पश्चात् तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिये एक बुनियादी ढाँचे का प्रारूप ढंगीकार कर लिया गया, जिसे 'संविधान सभा' का नाम दिया गया। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं,

अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ थीं, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता को भी इसकी एक प्रमुख विशेषता माना जाता है।

## 5) भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संघवाद किस प्रकार विशिष्ट है?

उत्तर : भारत में संघवाद संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है जो सरकार को सीमित करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संघीय होने के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की हैं। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ मामले में दिए गए अपने फैसले में न्यायालय ने यह बात कही।

### संघवाद की विशेषताएँ / संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ

भारत में संघवाद की छह महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं:

- शक्तियों का विभाजन:** यह संघीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। संविधान संघ और राज्यों के पास निहित शक्तियों की पहचान करता है। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें अपने प्रभार में स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, देश की मुद्रा आदि संघ या केंद्रीय विषय हैं, जबकि स्वास्थ्य, भूमि कृषि जैसे विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- संविधान सर्वोच्च है:** संविधान को भारतीय लोकतंत्र के तीनों अंगों - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका - की शक्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। लोकतंत्र के समन्वित और सुचारू संचालन के लिए संविधान की सर्वोच्चता महत्वपूर्ण है।
- लिखित संविधान:** संघीय संविधान लिखित और सुरक्षित होना चाहिए। लिखित संविधान के बिना संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का सीमांकन अत्यंत कठिन होगा। यदि लिखित पाठ का संदर्भ नहीं दिया जा सकता है, तो संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखना एक कठिन चुनौती होगी। संघीय शासन व्यवस्था वास्तव में अत्यंत जटिल है, और स्पष्टता आवश्यक है।
- संवैधानिक कठोरता:** यदि संविधान अत्यधिक कठोर है, तो उसमें संशोधन करना आसान है। इसके अलावा, चूँकि यह कठोर है, इसलिए इसकी सर्वोच्चता बनाए रखना आसान है। संविधान में संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या संघ के एक विशेष बहुमत के साथ किया जा सकता है।
- न्यायपालिका:** यह स्पष्ट है कि राज्य और केंद्र से मिलकर बने संघीय ढाँचे में विवादास्पद मुद्दे तो होंगे ही। विवादों के मामलों में निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता है जो संविधान की प्रामाणिक व्याख्या कर सके। यह भूमिका न्यायपालिका द्वारा निभाई जाती है और किसी भी संवैधानिक विवाद की स्थिति में, न्यायपालिका द्वारा अपनाया गया ऊस सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।

## सत्रीय कार्य-॥॥

निम्न लघु श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है।

### 6) भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?

- उत्तर : संविधान की प्रस्तावना दस्तावेज़ के मूलभूत विचारों और दर्शन को परिभाषित करती है, तथा उन नीतिगत लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करती है जिनके लिए संविधान के संस्थापक लेखकों ने प्रयास किया था।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई नियमों में प्रस्तावना की प्रासंगिकता और मूल्य पर जोर दिया है।
- इसमें वे सभी विश्वास और आकांक्षाएं समाहित हैं जिनके लिए देश ने ब्रिटिश शासन के दौरान संघर्ष किया।
- संविधान का उद्देश्य अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करना है।
- यह एक प्रकार का कानून प्राइमर है, और यह नीति और विधायी उद्देश्यों को समझने में मदद करता है।
- यह हमें बताता है कि 'हम लंबे समय से क्या सोच रहे थे या क्या सपना देख रहे थे'
- संविधान का छोत भारत के लोग माने जाते हैं।
- अधिनियमन प्रावधान, जो संविधान को लागू करता है, इसमें शामिल है।
- संविधान को पढ़ने के लिए प्रस्तावना आवश्यक है।
- प्रस्तावना से संविधान की शुरुआत होती है।
- प्रस्तावना ने भारत के भाग्य को आकाश दिया है।
- संविधान को प्रभावी बनाने वाला अधिनियमन खंड भी प्रस्तावना में पाया जाता है।
- यह इस देश के नागरिक के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त व्यापक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा करता है।
- यह उन मौलिक अधिकारों को स्थापित करता है जिनकी रक्षा भारतीय लोग सभी नागरिकों के लिए करना चाहते थे तथा शासन और राजनीति के आधारभूत प्रकार को स्थापित करता है।
- यह सर्वोच्च न्यायालय को यह नियम लेने में सहायता करता है कि कोई विशिष्ट कानून या विधान संविधान के अनुरूप है या नहीं।

### 7) भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- उत्तर : चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
- इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उप-चुनाव कराने के लिये समय-समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है।

- यह निवाचिक नामावली (Voter List) तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करता है।
- यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिये स्थान, मतदाताओं के लिये मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएँ और अन्य संबंध कार्यों का प्रबंधन करता है।
- यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिट्ठन आवंटित करता है।
- निवाचिन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है।
- यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव में 'आदर्श आचार संहिता' जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुष्पर्योग न किया जाए।
- यह सभी राजनीतिक दलों के लिये प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है।

## 8) न्यायिक पुनरवलोकन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए।

- **उत्तर :** न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है।
- **कानून की अवधारणा:**
  - **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया:** इसका अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो।
  - **कानून की उचित प्रक्रिया:** यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामले की जाँच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण हो।
  - भारत में **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण** किया जाता है।
- न्यायिक समीक्षा के **दो महत्वपूर्ण कार्य हैं**, जैसे- **सरकारी कार्टवाई को वैध बनाना** और सरकार द्वारा किये गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना।
  - न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (**इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975**) माना जाता है।
  - न्यायिक समीक्षा को **भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार** और **पर्यवेक्षक की भूमिका** में देखा जाता है।
  - **स्वतः संजान के मामले** और **लोक हित याचिका (PIL)**, **लोकल स्टैंडी (Locus Standi)** के सिद्धांत को विराम देने के साथ ही न्यायपालिका को कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, उस स्थिति में भी जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई हो।

## **9) राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से कोई चार उदाहरण दें और उनके महत्व को समझाइए।**

- उत्तर : **पृष्ठभूमि:** राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया था।
  - DPSP की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है।
  - इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
- **मौलिक अधिकार बनाम DPSP:**
  - मौलिक अधिकारों (FRs) के विपरीत DPSP का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है।
  - DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिये नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।
  - मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं।
  - दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, DPSP का नाम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
  - यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DPSP और मौलिक अधिकार साथ-साथ चलते हैं।
  - DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है।

## **10) मौलिक कर्तव्यों का नैतिक मूल्यों से क्या संबंध है?**

उत्तर : ध्यातव्य है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ प्राचीन काल से लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद थी। प्रख्यात इतिहासकार के. पी. जायसवाल के अनुसार प्राचीन भारत में गणतंत्र की अवधारणा टोमन या ग्रीक गणतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है।

इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसी प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की कहानी छिपी हुई है।

प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और व्यक्ति के "कर्तव्यों" (kartavya) पर ज़ोर दिया जाता रहा है।

भगवद्गीता और रामायण भी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रेरित करती है, जैसाकि गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को "फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये।"

गांधी जी का विचार था कि “हमारे अधिकारों का सही लोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निवार्हि करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।”





IGNOU IQ Hindi

# ZOOM CLASS

*All courses are available*

## PACKAGE DETAILS

- Free Study Materials
- Practice sets (HardCopy)
- Revision before Exams
- Monday to Friday Classes

JOIN NOW



CONTACT US

**6205717642/8521027286**



[www.ignouiqhindi.Com](http://www.ignouiqhindi.Com)

IGNOU INSTITUTE OF HINDI



# GUESS PAPER

5 Years Previous Questions Answers



## GUESS PAPER BPSC - 103

### Disclaimer for this Guess Paper/Notes/Sample Papers By IGNOU IQ HINDI (IH)

This PDF contains previous year questions asked by IGNOU. This PDF has been created to help you in the exam. However, it is important to note the following:

- A. **No Guarantee of Examination Questions:** We do not guarantee that the questions presented in this sample paper will appear in your actual exams. The content is for practice purposes only.
- B. **Book Study Recommended:** To achieve good marks in your IGNOU exams, it is highly recommended that you thoroughly study the prescribed course materials and textbooks. Relying solely on this sample paper may not be sufficient for exam success.
- C. **Use as a Study Materials:** Use this sample paper as a supplementary study aid to test your knowledge and exam preparedness.
- D. **Self-Responsibility:** Your performance in exams is your responsibility, and success depends on your dedication to studying the course material.

हमारे यहाँ IGNOU के सभी COURSES के Study Materials जैसे ; Guess Paper/Book Notes/ Practice Sets बहुत ही सरल भाषा में उपलब्ध हैं।



**Our Website**

Www.ignouiqhindi.Com



**Phone Number**

6205717642/8521027286